उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 125 /VII-A-1/2021/8(16)/19
देहरादून, दिनांकः 19 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 में संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित संशोधन नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग (संशोधन) नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग (संशोधन) नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रस्तर 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 (जिसे आगे मूल नीति कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात्;

स्तम्भ–1 विद्यमान उपबंध	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध
3. ऐसे क्षेत्र जहां नदी/जलाशय/नहर के द्वारा सिल्ट/उपखनिज आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे निम्नानुसार समिति गठित की जायेगीः– (क) उपजिलाधिकारी– अध्यक्ष (ख) प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि – सदस्य (ग) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता – सदस्य (घ) भू–वैज्ञानिक/– सदस्य खान अधिकारी (ड़) अन्य विभाग, जो आवश्यक समझा जाय।	3. (1) ऐसे क्षेत्र जहां नदी/जलाशय/नहर के द्वारा सिल्ट/उपखनिज आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे निम्नानुसार समिति गठित की जायेगीः– (क) उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष (ख) प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि – सदस्य (ग) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता – सदस्य (घ) भू–वैज्ञानिक/ – सदस्य खान अधिकारी (ड़) अन्य विभाग, जो आवश्यक समझा जाय। परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(2) ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा उपखनिज की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जहां नदी/जलाशय/नहर के द्वारा सिल्ट/ उपखनिज आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/आर०बी०एम० की मात्रा, उक्त मात्रा की निकासी हेतु समयावधि का निर्धारण निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा :–

i	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक /संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य

vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्री के रूप में आबद्ध कर सकेगी। उक्तानुसार गठित तकनीकी समिति के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित **प्रपत्र–2** पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित तकनीकी समिति द्वारा आंगणित मात्रा के सापेक्ष संस्तुत निकासी अवधि अथवा सिल्ट/ आर0बीएम0 की अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, जो भी पूर्व घटित हो, के लिए अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

प्रस्तर 4 का संशोधन

3. मूल नीति में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात्;

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपबंध**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध**
4. समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/सिल्ट आदि जो उपखनिज आर०बी०एम० प्रकृति का है तथा जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, चिन्हित क्षेत्रों से मलवा उठाने/सफाई करने हेतु जनपद/तहसील स्तर से इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की जायेगी। मलवे को उठाने/सफाई के लिये खुली नीलामी (Open Auction) में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक के पास निम्न अभिलेख होने अनिवार्य हैं :–	**4. (1)** समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/ सिल्ट आदि जो उपखनिज आर०बी०एम० प्रकृति का है तथा जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, चिन्हित क्षेत्रों से मलवा उठाने/सफाई करने हेतु जनपद/तहसील स्तर से इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की जायेगी। मलवे को उठाने/सफाई के लिये खुली नीलामी (Open Auction) में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक के पास निम्न अभिलेख होने अनिवार्य हैं :– 1. मूल निवास प्रमाण पत्र। 2. अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र (जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत)

1. मूल निवास प्रमाण पत्र। 2. अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र (जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत) 3. जी०एस०टी० नं०। 4. ब्लैक लिस्ट में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र। 5. मूल्यांकित रॉयल्टी के 25 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट।	3. जी०एस०टी० नं०। 4. ब्लैक लिस्ट में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र। 5. मूल्यांकित रॉयल्टी के 25 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट; परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा। **(2)** प्रस्तर 3(2) में गठित तकनीकी समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/सिल्ट आदि जो उपखनिज आर०बी०एम० प्रकृति का है तथा जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, चिन्हित क्षेत्रों से मलवा उठाने/सफाई करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित खुली नीलामी समिति (Open Auction Committee) द्वारा खुली नीलामी में इच्छुक व्यक्तियों /संस्थाओं से प्रतिभाग किये जाने के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की जायेगी। खुली नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक के पास निम्न अभिलेख होने अनिवार्य होंगे :– 1. अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र (जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत) 2. जी०एस०टी० नं०। 3. ब्लैक लिस्ट में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र। 4. मूल्यांकित रॉयल्टी के 25 प्रतिषत का बैंक ड्राफ्ट।

प्रस्तर 5 का संशोधन **4.** मूल नीति में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात्;

स्तम्भ–1 विद्यमान उपबंध	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध
5. उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारी द्वारा सिल्ट/उपखनिज आर०बी०एम०	**5. (1)** उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारी द्वारा सिल्ट/उपखनिज आर०बी०एम० निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि का अनुज्ञा

निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि का अनुज्ञा यथा प्रक्रिया स्वीकृत किया जायेगा। आर०बी०एम० /सिल्ट के निस्तारण/उठान किये जाने की अनुज्ञा अधिकतम 04 माह अथवा मलवे/उपखनिज/सिल्ट की अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, जो भी पूर्व घटित हो, के लिए स्वीकृत की जायेगी।	यथा प्रक्रिया स्वीकृत किया जायेगा। आर०बी०एम०/सिल्ट के निस्तारण/उठान किये जाने की अनुज्ञा अधिकतम 04 माह अथवा मलवे/उपखनिज/सिल्ट की अनुज्ञापत मात्रा हटाने की अवधि, जो भी पूर्व घटित हो, के लिए स्वीकृत की जायेगी; परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा। (2) ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा रिवर ट्रेनिंग हेतु स्वीकृत स्थल से उपखनिज की निकासी हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

प्रपत्र–2 का अंतःस्थापन 5. मूल नीति में इस नीति में संलग्न **प्रपत्र–2** जोड़ दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

प्रपत्र–2

रेलवे विकास निगम लिमिटेड हेतु रिवर ट्रेनिंग नीति के अन्तर्गत सिल्ट/आर0बीएम0 की निकासी हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप

1. आवेदक का नाम व पूरा पता..
2. आवेदित क्षेत्र का विवरणः–

   क. जनपद का नाम..
   ख. तहसील का नाम..
   ग. ग्राम का नाम..
   घ. खसरा सं0 व क्षेत्रफल ....
   छ. नदी/जलाशय का नाम..

3. आवेदित क्षेत्र के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स..
4. सिल्ट/आर0बी0एम0 की आंगणित मात्रा...
5. सिल्ट/आर0बी0एम0 की नियमानुसार आंगणित रॉयल्टी की धनराशि...
6. नदी/जलाशय से सिल्ट/आर0बी0एम0 की निकासी हेतु पहुंच मार्ग की उपलब्धता के सम्बन्ध में टिप्पणी..............
7. निकासी किये गये सिल्ट/आर0बी0एम0 का गंतव्य स्थान...
8. गंतव्य स्थान की रिवर ट्रेनिंग स्थल से दूरी...
9. रिवर ट्रेनिंग स्थल मे उपलब्ध सिल्ट/आर0बी0एम0 की आंगणित मात्रा के आधार पर अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तावित अवधिः–..
10. मौका निरीक्षण के समय उपस्थित आवेदक/आवेदक के प्रतिनिधि का नाम, पता व मोबाईल नं0................................

रिवर ट्रेनिंग नीति के अन्तर्गत सिल्ट/आर0बीएम0 की निकासी हेतु गठित समिति की संस्तुतिः–

अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।
(सदस्य)

क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। **(सदस्य)**	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी **(सदस्य)**	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी **(सदस्य)**
प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी **(सदस्य)**	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी **(सदस्य)**	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी **(संयोजक)**